स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिनांक 08.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान | स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

अपनी जमीन अपना छत, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

भिलाईनगर/ अपनी जमीन अपना छत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निगम आयुक्त के0एल0 चौहान ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मोर जमीन मोर मकान शासन की जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना में क्या रुकावटें आ रही है उसपर कर्मचारियों से वार्ड अनुसार जानकारी प्राप्त की।

अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 682 हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। 22 हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा पहली स्वीृकति राशि 11.50 लाख प्रदान किया जा चुका है। वार्ड 03 में 15 अगस्त तक एक आवास माडल के रुप में बनकर तैयार हो जायेगा। अभी तक निगम क्षेत्र में 60 प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है बाकि सर्वे तीव्र गति से जारी है। सम्पूर्ण प्रक्रिया जीयों टैग द्वारा प्रमाणिकरण होगा चार चरणों में हितग्राही के बैंक खाते में अनुदान की राशि अधिकतम 2.28 लाख सीधा जमा की जावेगी। प्लाट साईज कोई बंधन नहीं है, 30 वर्गमीटर तक आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा। भवन अनुज्ञा विकास शुल्क, भू–भाटक शुल्क में शत्–प्रतिशत छुट है निगम द्वारा भवन नक्शा का लेआउट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने समीक्षा के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि जमीन के आकार के अनुसार भूतल एवं प्रथमतल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। पात्रता के रुप में भारत वर्ष में परिवार के नाम से कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए, हितग्राही के पास जीवित पट्टा स्वयं का पट्टा रजिस्ट्रीकृत आवासीय जमीन होना अनिवार्य है। ऐसे हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए शासन द्वारा नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जायेगा। समीक्षा बैठक के दौरान निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।

जन सम्पर्क अधिकारी